FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0047 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/02/2026 17:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 16/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:10 बजे **Time To (समय तक):** 15:18 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/02/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/02/2026 17:14:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 01 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** AJMER VIDYUT VITARAN NIGIM, HATHIBHATA,AJMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL SAHU

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHAYAM LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1/41, PUSHKAR MARG,AJMER, MOTIVIHAR COLONY,RAMNAGAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	1/41, PUSHKAR MARG,AJMER, MOTIVIHAR COLONY,RAMNAGAR, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABULAL		पिता:CHARAN LAL	1. 94,BHAGWATI NAGAR-2,MAHESH NAGAR,MAHESH NAGAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर (राज0) विषयः- कानूनी कार्यवाही करने बाबत।
श्रीमान, उपरोक्त विषय में लेख है कि मै सुशील साहू पुत्र श्री श्याम लाल साहू निवासी रामगनगर अजमेर में विद्युत विभाग में रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं मैं मेरी फर्म श्री राम कान्ट्रेक्टर व मेरी श्रीमति जी की फर्म और मेरे मित्र दिलीप सिंह जी की फर्म का कार्य भी में ही प्रतिनिधि के रूप में देखता हॅू हमारी फर्मो द्वारा बिजली सम्बन्धित कार्य किये जाते है। SE O/M AVVNL AJMER बाबूलाल जी ने हमारी फर्मो पर सितम्बर व अक्टूम्बर माह में लगभग 70 लाख रूपये के वर्क आर्डर जारी किये थे, जिनके एवज में व अन्य प्रकार का सहयोग करने के लिये 70 लाख का 6 प्रतिशत के अनुसार मुझ से SE साहब बाबूलाल जी 2,10000 दो लाख दस हजार रूपये रिश्तत मांग रहे है, मै रिश्वत नही देना चाहता लेकिन SE साहब ने हमारी फर्मो पर 8 दिसम्बर 2025 को जो वर्क आर्डर जारी किये थे वो हमें दे नही रहे और बोल रहे है कि पहले पिछले ऑर्डर की रिश्वत की राशि दो तब नये वाले आर्डर दुंगा मेरी फर्म पर वर्क आर्डर संख्या 7161 दिनांक 8.12.2025 श्री राम कान्ट्रेक्टर 8 दिसम्बर को डिस्पेज कर अपनी अलमारी में रख रखा है और बिना रिश्वत के आर्डर देने को तैयार नही है वर्क आर्डर के बिना मेरा काम बन्द पडा है जिनके बिना मेरा बिल भी नही बन सकता। अत आप से निवेदन है कि मै रिश्वत नही देना चाहता मै इन्हे पकडवाना चाहता हॅू दिनांक 11.02.2026 भवदीय सुशील साहु रामनगर अजमेर मोबाईल नम्बर ,

कार्यवाही पुलिस कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर दिनांक 11.02.2026 समय 02.10 पीएम परिवादी श्री सुशील साहू पुत्र श्री श्याम लाल साहू जाति तेली उम्र 40 साल निवासी 1/41 मोती विहार कॉलोनी रामनगर पुष्कर मार्ग अजमेर ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के नाम प्रस्तुत किया। श्रीमती वन्दना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा उनके पास मौजूद परिवादी से परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी व प्रार्थना पत्र सहित अपने कार्यालय में आयी एंव परिवादी से दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि " मेरा नाम श्री सुशील साहू पुत्र श्री श्याम लाल साहू है मै 1/41 मोती विहार कॉलोनी रामनगर पुष्कर मार्ग अजमेर का रहने वाला हूं। मैविद्युत विभाग एवीवीएनएल अजमेर में रजिस्टर्ड ठेकेदार हूं। मेरी फर्म श्री राम कान्ट्रेक्टर है तथा श्री श्याम इलेक्ट्रिक मेरी पत्नि श्रीमति सोनू साहू के नाम से है। श्री जमवाय इलेक्ट्रिक व महिमा इन्फ्रा मेरे मित्र श्री दिलीप सिंह के नाम की फर्म है। हमारी फर्मे एवीवीएनएल में रजिर्स्टड होकर विद्युत से सम्बन्धित कार्य अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेट अजमेर मे करती है। उक्त फर्मो के काम की देखरेख मेरे द्वारा ही की जाती है। हमारी फर्मो से कार्य करवाने के लिये SE O/M AJMER (AVVNL AJMER) बाबूलाल जी ने सितम्बर व अक्टूम्बर वर्ष 2025 में 70 लाख के कार्य करवाने के लिये वर्क आर्डर जारी किये थे, जिनके एवंज में बाबूलाल जी SE साहब मुझ से 70 लाख रूपये के 3 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत के रूप में 2,10,000 रूपये मांगे थे मैने उन्हे रिश्वत नही दी तो SE साहब ने हमारी फर्म को जो 8 दिसम्बर 2025 एवीवीएनएल में कार्य के लिये वर्क आर्डर जारी हुए थे वो नही दे रहे है और बोल रहे है कि पहले वाले वर्क ऑर्डर के दो लाख 10 हजार रूपये दो तभी वर्क आर्डर दुंगा। मेरी फर्म श्री राम कान्ट्रेक्टर को जारी वर्क आर्डर संख्या 7161 दिनांक 8.12.2025 डिस्पेज कर अपनी अलमारी में रख रखा है और मुझे नही दे रहे है। बिना रिश्वत लिये मुझे वर्क आर्डर देने को तैयार नही है वर्क आर्डर के बिना मेरे द्वारा अभी तक काम चालू भी नही किया है। मै श्री बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता को रिश्वत नही देना चाहता मै उन्हे रिश्वत लेते हुये उन्हे पकडवाना चाहता हॅू।" पूछने पर बताया कि " मेरी बाबूलाल जी अधीक्षण अभियन्ता से कोई आपसी रंजिश नही है और ना ही उधार का लेन देन है।" प्रार्थना पत्र एंव मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाना से परिवादी श्री सुशील साहू को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे समझाया गया जिस पर श्री सुशील साहू ने कहा कि मै अभी जाकर बाबूलाल एसई साहब से रिश्वत राशि की बात कर लूंगा जिस पर श्री मनोज कुमार कानि0 01 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री सुशील साहू से आपस में परिचय करा मोबाईल नम्बरो का आदान- प्रदान करवा कर कार्यालय अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकाल कर परिवादी श्री सुशील साहू का ऑपरेट करने की समझाईश की गयी। कार्यालय अलमारी में से नया व खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। समय 315 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि0 01 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कॉर्ड देकर परिवादी श्री सुशील साहू के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने के लिये

अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय हाथीभाटा अजमेर रवाना किया गया।समय 415 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि0 01 मय परिवादी श्री सुशील साहू के कार्यालय उपस्थित आये एंव परिवादी श्री सुशील साहू ने बताया कि " मै एव मनोज जी मेरी कार से एसीबी चौकी से रवाना होकर एवीवीएनएल कार्यालय हाथीभाटा पहुचें मेरी कार के अन्दर ही मनोज जी ने वॉईस रिकॉर्डर चालू कर मेरे को दिया था, इसके बाद मै रवाना होकर श्री बाबूलाल जी अधीक्षण अभियन्ता के ऑफिस में गया, वहां पर पहले से ही चार- पांच लोग बैठे थे। मै श्री बाबूलाल जी को नमस्कार कर उनके ऑफिस में बैठ गया, उन व्यक्तियों के जाने के बाद मैने श्री बाबूलाल जी से मेरे काम के बदले वार्ता की तो पहले तो काफी नाराज हो गये और कहने लगे की तेरे से कोई बात नही करनी है, इसके बाद मैने वर्क आर्डर देने की बात कही तो कहने लगे कि मैने तो तेरे को दे दिये मेरे पास कोई वर्क आर्डर नही है, इसके बाद पहले के हिसाब की बात की तो उन्होने कहा कि तेरे को 70 लाख के आर्डर दे चुका हूं, इसके बाद तो तू आया ही नही, मैने कहा कि कोई काम की वजह से नही आ पाया था, अब आप वर्क आर्डर दे दो, उन्होने कहा कि पहले के हिसाब से 2 लाख 10 हजार रूपये बनते है, मेने कहा कि 2 लाख दस हजार ज्यादा रहेगे कुछ तो कम करो, तो उन्होने कहा की 2 कर जा, मैने कहा कि सोमवार या मंगलवार को कर दुगां। इसके बाद मै रवाना होकर मनोज जी के पास गया था , उन्होने रिकॉर्डर बन्द किया और हम वहां से रवाना हो गये। जिस पर कार्यालय के कम्प्युटर से डिजीटल वॉर्डस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर सुना तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो जाने पर अग्रीम कार्यवाही के बारे में परिवादी को रिश्वत राशि में देने वाले रूपयो के बारे में कहा गया तो श्री सुशील साहू ने कहा कि सोमवार को या मंगलवार को मै रिश्वत मे दी जाने वाली राशि लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉर्डस रिकॉर्डर मय मैमोरी कॉर्ड के सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। समय 05.45 पीएम पर परिवादी को गोपनीयता की हिदाकर देकर रूकसत किया गया। 16.02.2026 समय 11.05 ए.एम पर परिवादी सुशील साहू कार्यालय मे उपस्थित आया व बताया कि बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता को रिश्वत के रूप में 2,00,000 रूपये देने है परन्तु मेरे पास 50,000 रूपये की ही व्यवस्था हुई है। मै बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता को दो लाख रूपये में से पहली किश्त के रूप में 50,000 रूपये लेने के लिये राजी कर लूंगा। 50,000 रूपये से ज्यादा की व्यवस्था मे नही कर सकता हूं। परिवादी को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। दिनांक 16.02.2026 समय 11.15 ए.एम पर आगामी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से जिला रसद अधिकारी अजमेर के नाम तहरीर लिखी जाकर श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 को रवाना किया गया। समय 11.50 ए.एम. पर श्री चतर सिंह कानि जिला रसद कार्यालय अजमेर से दो कर्मचारियो को लेकर उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आमदा को अपना परिचय देकर उनसे परिचय पूछा तो अपना परिचय प्रकाश देवनानी पुत्र स्व0 श्री वेन्सीमल देवनानी उम्र 40 साल जाति सिंधी निवासी मकान नम्बर 3/19 टैम्पू स्टेण्ड के पास धोलाभाटा, अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी अजमेर व आमोद शुक्ला पुत्र श्री लोकेश चन्द्र शुक्ला उम्र 46 जाति ब्राहमण निवासी 624/44 शिवनगर फाय सागर रोड अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी अजमेर के रूप में दिया। मन् निरीक्षक के पास मौजूद परिवादी श्री सुशील साहू का आपस मे गवाहो से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2026 पढकर गवाहो को सुनाया व दिखाया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। गवाहान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे हुवे वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को निकालकर वायॅस रिकॉर्डर को चालू करके वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश गवाहान को सुनाये गये। समय 01.25 पी.एम. पर परिवादी श्री सुशील साहू ने आरोपी श्री बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि अपने पास से 500-500 रूपये के 100 नोट, कुल 50,000 रूपये प्रस्तुत किये, जिन पर श्री जितेन्द्र चौधरी सहायक प्रोग्रामर से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर जितेन्द्र चौधरी से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को श्री जितेन्द्र चौधरी से परिवादी सुशील साहू की पहनी हुई जैकेट के अन्दर की जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाया गया। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.50 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मोबाईल फोन मय मैमोरी कार्ड, तथा स्वतन्त्र गवाह श्री प्रकाश देवनानी व श्री आमोद शुक्ला मय एसीबी स्टॉफ, श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 श्री मनोज कुमार नम्बर 01, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17, श्री मय लैपटॉप/प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स आदि के परिवादी के प्राईवेट वाहन,सरकारी वाहन मय चालक, कार्यालय स्टॉफ के मोटर साईकिल से वास्ते ट्रेप कार्यवाही कार्यालय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर हाथीभाटा की तरफ रवाना हुये। समय 02.55 पीएम. पर उपरोक्त फिकरा की रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एवीवीएनएल कार्यालय हाथीभाटा अजमेर से सामने पहुंचे वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत राशि देने हेतु एवीवीएनएल कार्यालय अजमेर के लिये रवाना किया मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एवीवीएनएल

कार्यालय के बाहर की तरफ ही मुकीम रही। श्री मनोज कुमार कानि व श्री रविन्द्र सिंह कानि को परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया गया। समय करीब 03.19 पीएम पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को श्री मनोज कुमार कानि 01 द्वारा जरिये वाट्सएप रिश्वत राशि आदान प्रदान की जानकारी दी जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान श्री प्रकाश देवनानी, श्री आमोद शुक्ला, श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 के कार्यालय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड हाथी भाटा अजमेर के द्वितीय तल रूम नम्बर 201 के सामने पहुंची जंहा पर श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 व श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01 व परिवादी श्री सुशील साहू उपस्थित मिले। कक्ष का गेट खुला हुआ था। श्री मनोज कुमार कानि ने वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को बन्द अवस्था में सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वायॅस रिकॉर्डर को अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सुशील कुमार ने बताया " कि एसई साहब बाबूलाल जी को छोटा अमाउण्ट की व्यवस्था होने की कहा था तो उन्होनें एक साथ ही देने के लिये कहा। मैने एसई साहब को पचास हजार रूपये दिये तथा तुरन्त ही मनोज जी को वाट्सएप के द्वारा ईशारा कर दिया। मै खडे होकर कक्ष के बाहर की तरफ आ रहा था तभी मनोज जी व रविन्द्र जी अन्दर की तरफ आये इन्हे देखकर एसई बाबूलाल जी ने पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डी टेबल पर फैंक दी" श्री मनोज कानि व श्री रविन्द्र कानि0 ने परिवादी की बात की ताईद की व कानि0 मनोज ने कहा कि "जैसे ही परिवादी का ईशारा मिला मैने आपको ईशारा किया तथा रिश्वत राशि खुदबुर्द नही हो जाये इसलिये कमरे मे प्रवेश किया व परिवादी से वायॅस रिकॉर्डर लिया हमें देखकर अधीक्षण अभियन्ता कक्ष मे मौजूद शख्स ने रूपये टेबल पर फैंक दिये।" श्री रविन्द्र सिंह कानि द्वारा मनोज कानि0 के कथनो की ताईद की। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त कमरे में प्रवेश किया जंहा पर कोट पेन्ट पहने हुये एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुये नजर आया व टेबल पर 500-500 रूपये की नोट की गड्डी नजर आयी। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा शख्स को अपना परिचय दिया जिस पर जोर-जोर से बोलने लगा कि मैने पैसे नही मांगे जबरदस्ती दिये गये है, जो रूपये मैने फैंक दिये। इन्होने जबरदस्ती पैसे दिये है। शख्स को शान्त करने का प्रयास किया गया काफी देर तक समझाईश के बाद शान्त होने पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाया एंव नाम पता पूछा तो अपना नाम बाबूलाल एसई, होना बताया व परिवादी के कार्य के बदले रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि "इसने जबरदस्ती रूपये दिये है मैने रूपये नही मांगे।" श्री बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता को बार-बार समझाईश की गई व तसल्ली दी गई। परिवादी ने बताया कि "मेरे पास दो लाख रूपये पूरी व्यवस्था नही होने पर इन्होने एक साथ रूपये देने के लिये कहा व आपके स्टॉफ को देखकर रूपये फैंक दिये।" श्री बाबूलाल द्वारा बार-बार कहा गया कि "रूपये मैने नही मांगे जबरदस्ती दिये है।" जिस पर समझाईश की गई कि दिनांक 11.02.2026 को आपके व परिवादी के बीच में रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्तालाप हुई है जिसे रिकॉर्ड किया गया है। तत्पश्चात रिश्वत रिश्वत राशि लेनदेन की पुष्टि होने पर अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता के दोनो हाथो अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी व बाये हाथ के धोवण का रंग अपरिवर्तित रहा , जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी व अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर सुरक्षित रखा गया। इसी प्रकार बांये हाथ के धोवण को दो शीशीयों मे आधा-आधा भरकर सुरक्षित रखा गया। रिश्वत राशि जो कि आरोपी श्री बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता के बैठने की कुर्सी के सामने रखी हुई टेबल के उपर रखी हुई थी, को गवाह श्री प्रकाश देवनानी से उठवाया गया तो गवाह ने गिनकर 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना बताया। जिनका मिलान गवाह द्वारा पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी से किया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु होना पाया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री आमोद शुक्ला के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री बाबूलाल ने अपना पूरा नाम पता श्री बाबूलाल पुत्र श्री चरण लाल उम्र 59 साल जाति जाटव निवासी मकान नम्बर 94 भगवती नगर सैकण्ड पुलिस थाना महेश नगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर होना बताया। आरोपी श्री बाबूलाल के बैठने की कुर्सी के सामने रखी टेबल पर रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान का धोवण लिये जाने हेतु सूखी रूई को टेबल के उपर घिसा जाकर अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय में से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में उक्त रूई को डुबाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो द्वारा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। धोवण को सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी की सम्बन्धित फर्मो के वर्क ऑर्डर के बारे में परिवादी ने बताया कि मेरे से सम्बन्धित चार वर्क ऑर्डर साईन करने के बाद भी मुझे नही दिये है। वर्क ऑर्डर के सम्बन्ध मे पूछने पर बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता ने वर्क ऑर्डर मुकुल वाणिज्यिक सहायक प्रथम के पास होना बताया। जिस पर श्री बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता के कक्ष के पास

ही स्थित कक्ष में से श्री मुकुल शाक्या वाणिज्यिक सहायक प्रथम को तलब किया गया तथा आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये परिवादी से सम्बन्धित फर्म के वर्क ऑर्डर बाबत पूछने पर स्वंय की कार्यालय अलमारी में होना अवगत करवाया तथा सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने हेतु कहने पर श्री मुकुल वाणिज्यक सहायक प्रथम द्वारा परिवादी से सम्बन्धित फर्म को जारी शुदा वर्क ऑर्डर 04 जो परिवादी श्री सुशील साहू को दिये जाने थे मुकुल वाणिज्यिक सहायक प्रथम द्वारा प्रस्तुत किये जिन्हे सुरक्षित रखवाया गया। उक्त के अतिरिक्त माह सितम्बर व अक्टूबर में परिवादी से सम्बन्धित फर्म को दिये गये वर्क ऑर्डर की प्रतियों के सम्बन्ध मे पूछने पर श्री मुकुल ने वर्क ऑर्डर की कार्यालय प्रतिंया अलमारी में होना अवगत करवाया एंव सम्बन्धित वर्क ऑर्डर की कुल 12 कार्यालय प्रतिंया निकाल कर प्रस्तुत की जिन्हे सुरक्षित रखा गया। कार्यवाही के दौरान श्रीमती वन्दना भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर मौके पर उपस्थित आयी एंव आवश्यक निर्देश देकर पुनः कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर रवाना हुई। तत्पश्चात अजमेर विधुत वितरण निगम में काफी कर्मचारियों की आवाजाही होने से तथा श्री बाबूलाल द्वारा बार बार शोर शराबा करने से अग्रिम कार्यवाही मे व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका से अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय अजमेर पर किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान, श्री मुकुल शाक्य व आरोपी श्री बाबूलाल को हमराह लेकर एंव परिवादी से सम्बन्धित दस्तावेजात मय आर्टिकल के कार्यालय अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड हाथी भाटा अजमेर से रवाना होकर समय 04.30 पीएम पर एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित आकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। सुरक्षित रखी धोवण की शिंशिंयो में दाहिने हाथ के धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच.-1 , आर.एच.- 2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी प्रकार बायें हाथ के धोवण की शीशीयो पर मार्क क्रमशः एल.एच.-1 , एल.एच.- 2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी प्रकार टेबल जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई थी के धोवण की शिंशिंयो को सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क क्रमशः टी-1 व टी-2 अंकित किया गया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार रिश्वत राशि 50,000 रूपये जो गवाह श्री आमोद शुक्ला के पास सुरक्षित रखी है को पुनः पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी व दृष्टान्त से नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु होना पाया गया उक्त रिश्वत राशि नोटो को एक पीले कागज के लिफाफे में रखा जाकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एन अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से सम्बन्धित फर्म जिनके वर्क ऑर्डर दिनांक 08.12.2025 को जारी किये गये परन्तु परिवादी की प्रति उपलब्ध नही करवाई गई उक्त रिकॉर्ड श्री मुकुल शाक्य वाणिज्यक सहायक प्रथम, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाया गया था, हमराह लिया गया था जिसका विवरण इस प्रकार हैः- 1.मैसर्स जमवाई इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499074 जरिये पत्रांक 7131 दिनांक 08.12.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर है। पेज 1 से 7 तक 2.मैसर्स श्री श्याम इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499134 जरिये पत्रांक 7139 दिनांक 08.12.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर है। पेज 1 से 8 तक 3.मैसर्स श्री राम कॉन्ट्रेक्टर अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499134 जरिये पत्रांक 7161 दिनांक 08.12.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर है। पेज 1 से 7 तक 4.मैसर्स महिमा इन्फ्रा अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499134 जरिये पत्रांक 7199 दिनांक 08.12.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर है। पेज 1 से 8 तक उक्त के समस्त पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त वर्क ऑर्डर की कुल राशि 19,96,476 के है। इसी प्रकार माह सितम्बर व अक्टूबर 2025 मे परिवादी से सम्बन्धित फर्म को जारी किये गये वर्क ऑर्डर की छायाप्रति जो कार्यालय प्रति के रूप में थी जिसे हमराह लिया गया जिसका विवरण इस प्रकार हैः- 1.मैसर्स जमवाई इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499952 जरिये पत्रांक 4345 दिनांक 12.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से तक 16 तक 2.मैसर्स श्री श्याम इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 498949 जरिये पत्रांक 4353 दिनांक 12.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 13 तक 3.मैसर्स श्री राम कॉन्ट्रेक्टर अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 482489 जरिये पत्रांक 4378 दिनांक 12.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 13 तक 4.मैसर्स महिमा इन्फ्रा अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499318 जरिये पत्रांक 4430 दिनांक 12.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 17 तक 5.मैसर्स महिमा इन्फ्रा अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 199913 जरिये पत्रांक 5662 दिनांक 24.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल

द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 11 तक 6.मैसर्स श्री श्याम इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 455340 जरिये पत्रांक 5666 दिनांक 24.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 9 तक 7.मैसर्स श्री राम कॉन्ट्रेक्टर अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 468837 जरिये पत्रांक 5675 दिनांक 24.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 11 तक 8.मैसर्स जमवाई इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 499134 जरिये पत्रांक 5694 दिनांक 24.09.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 12 तक 9.मैसर्स जमवाई इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 497293 जरिये पत्रांक 6110 दिनांक 14.10.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 6 तक 10.मैसर्स श्री श्याम इलेक्ट्रीक्स अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 196489 जरिये पत्रांक 6118 दिनांक 14.10.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 5 तक 11.मैसर्स श्री राम कॉन्ट्रेक्टर अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 199276 जरिये पत्रांक 6143 दिनांक 14.10.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 5 तक 12.मैसर्स महिमा इन्फ्रा अजमेर वर्क ऑर्डर राशि 199913 जरिये पत्रांक 6195 दिनांक 14.10.2025 को अधीक्षण अभियन्ता O/M AJMER (AVVNL AJMER) द्वारा जारी किया जाकर बतौर अधीक्षण अभियन्ता श्री बाबूलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। पेज 1 से 4 तक उपरोक्त दस्तावेजात के प्रत्येक पेज पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त वर्क ऑर्डर राशि 46,81,190 रूपये के जारी किये गये है। परिवादी स्वंय, परिवादी की पत्नि एंव परिवादी के मित्र की फर्म को दिनांक 12.09.2025,24.09.2025,12.10.2025 व 08.12.2025 को कुल राशि 66,77,666 रूपये के कुल 16 वर्क ऑर्डर श्री बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर द्वारा जारी किये गये है। श्री मुकुल शाक्य ने ठेकेदारो को कार्य वितरण किये जाने का रोस्टर रजिस्टर जो हमराह लाया गया था प्रस्तुत किया का अवलोकन किया गया तो परिवादी से सम्बन्धित दिनांक 08.12.2025 के चार वर्क ऑर्डर किसी के द्वारा ले जाने की प्राप्ति हस्ताक्षर होना पाया गया जिसके सम्बन्ध मे श्री मुकुल शाक्य से पूछा गया कि जब ऑरिजनल वर्क ऑर्डर आपके पास है तो प्राप्ति हस्ताक्षर किसके है इस पर श्री मुकुल ने कहा कि दिनांक 13.02.2026 को सुशील जी साहू का कोई आदमी आया था जो इनकी फोटो कॉपी ले गया था व यह कहा कि ऑरिजनल सुशील जी ले जायेंगें इस पर पुनः पुछा कि आपने दिनांक 08.12.2025 के बाद अब तक क्यू नही दिये इस पर कहा कि एसई साहब बोलते तो मै ऑरिजनल दे देता। उक्त रोस्टर रजिस्टर पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री बाबूलाल को पूछा गया तो बताया कि ऑरिजनल की जरूरत तो ठेकेदार को बिल पेश करते समय पडती है तब ले जाते। फोटो प्रति दिला दी थी। कार्यवाही के दौरान श्री बाबूलाल को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2026 वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को चलाकर सुनाया गया तो स्वंय की आवाज होने की ताईद करते हुये सोलर की बात करना बताया। वार्तालाप में बाबूलाल अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कहा गया कि "मैने पुछा था, आपके के करीब 70 के आस-पास हो रहे है।" "इसके हिसाब से दो दस के करीब" "दो कर जा" आदि वार्तालाप के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि इस बारे मे मुझे जानकारी नही है मै तो सोलर लगाने की बात कर रहा था। जिस परिवादी ने बताया कि बाबूलाल जी गलत बोल रहे है हमारे बीच में हमारे सितम्बर व अक्टूबर व दिसम्बर में जारी किये गये सभी वर्क ऑर्डर जो करीब 70 लाख रूपये के होना बताते हुये तीन प्रतिशत के हिसाब से इन्होने दो लाख 10 हजार रूपये का कहते हुये दस हजार रूपये कम करते हुये दो लाख रूपये की कहा जिस पर मेरे द्वारा हंसते हुये कहा कि दो लाख पर दस हजार की छूट थोडा और कम करो। इसके बाद में इन्होने कलेक्टर साहब के पीए साहब के घर पर सोलर लगाने की बात की वो बात बिलकुल ही अलग है। इन्होने बातचीत में खम्भे जो लाये है उसकी क्वालिटी ठीक रखने की भी कहा था। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता भी आरोपी श्री बाबूलाल को सुनाई गई जिसमें आरोपी ने एक आवाज स्वंय की एंव एक आवाज परिवादी सुशील की होना बताया। वार्ता में परिवादी द्वारा कहा गया कि छोटा सा अमाउण्ट है जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि एक साथ ही कर देते। इसके सम्बन्ध मे बाबूलाल ने कहा कि इन्होने मुझे जबरदस्ती देने का प्रयास किया जो रूपये मैने फैंक दिये थे। परिवादी ने कहा कि इन्हे दो लाख रूपये देने थे इसलिये ये एक साथ ही रूपये देने का कह रहे थे व आपकी टीम को आता देखकर रूपये फैंक दिये। जिस पर बाबूलाल ने कहा कि इन्होने जबरदस्ती रूपये दिये। परिवादी ने कहा कि दिनांक 11.02.2026 को हुई वार्ता में इन्होने दो लाख दस हजार रूपये में से दस हजार रूपये कम करके दो लाख रूपये का कहा था तो मैने कहा कि दस हजार की छूट का कहा तथा मैने सोमवार या मंगलवार को आने की कहा था। आज इन्हे दो लाख रूपये देने थे मेरे पास पूरे रूपयो की व्यवस्था नही थी इसलिये ये पूरे रूपये एक साथ देने के लिये कह रहे थे। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री बाबूलाल पुत्र श्री चरण लाल उम्र 59 साल जाति जाटव निवासी मकान नम्बर 94 भगवती नगर सैकण्ड पुलिस थाना महेश नगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अजमेर द्वारा परिवादी श्री

सुशील साहू पुत्र श्री श्याम लाल साहू उम्र 40 साल निवासी 1/41 मोती विहार कॉलोनी रामनगर पुष्कर मार्ग अजमेर की फर्म श्री राम कॉन्ट्रेक्टर अजमेर, परिवादी की पत्नि श्रीमती सोनू की फर्म मैसर्स श्री श्याम इलेक्ट्रीक्स अजमेर व मित्र दिलीप सिंह की फर्म मैसर्स जमवाई इलेक्ट्रीक्स अजमेर व मैसर्स महिमा इन्फ्रा अजमेर को दिनांक 12.09.2025, 24.09.2025 व 12.10.2025 को जारी किये गये 12 वर्क ऑर्डर कुल राशि 46,81,190 रूपये एंव दिनांक 08.12.2025 को जारी किये गये 4 वर्क ऑर्डर कुल राशि 19,96,476 रूपये कुल राशि 66,77,666 रूपये के वर्क ऑर्डर जारी करने की एवज में 2,10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 11.02.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर आज दिनांक 16.02.2026 को परिवादी से रिश्वत राशि 50,000 रूपये प्राप्त किये जो रिश्वत राशि आरोपी श्री बाबूलाल के सामने रखी हुई टेबल से बरामद होना पाया गया है। आरोपी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एंव रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आना पाया गया है जो आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री बाबूलाल को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर की गई। समय 09.00 पीएम तक फर्द बरामदगी, हाथ धुलाई एव जब्ती की कार्यवाही सम्पादित की जाकर फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समस्त जब्तशुदा आर्टिकल/ रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के मैमोरी कार्ड/वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी मे सुरक्षित रखे गये। दिनांक 17.02.2026 परिवादी परिवादी व गवाहान के उपस्थित आने पर दिनांक 11.02.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री सुशील साहू द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड को सील्ड किया गया। दो पैन ड्राईव को उन्ही पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। अनुसंधान अधिकारी का पैन ड्राईव सुरक्षित पत्रावली में रखा गया। परिवादी श्री सुशील साहू एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 16.02.2026 को परिवादी सुशील साहू एंव आरोपी श्री बाबूलाल के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री सुशील साहू द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड से तीन पृथक पृथक पेन ड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड को सील्ड किया गया। दो पैन ड्राईव को उन्ही पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखा गया। श्री बाबूलाल अधीक्षक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग के मैमोरी कार्ड से पैन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड व पैन ड्राईव सील्ड किये गये। समस्त जब्त एंव सील्ड शुदा आर्टिकल जो मालखाना में जमा करवाये जाने है, मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री बाबूलाल पुत्र श्री चरण लाल उम्र 59 साल जाति जाटव निवासी मकान नम्बर 94 भगवती नगर सैकण्ड पुलिस थाना महेश नगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अजमेर द्वारा परिवादी श्री सुशील साहू पुत्र श्री श्याम लाल साहू उम्र 40 साल निवासी 1/41 मोती विहार कॉलोनी रामनगर पुष्कर मार्ग अजमेर की फर्म श्री राम कॉन्ट्रेक्टर अजमेर, परिवादी की पत्नि श्रीमती सोनू की फर्म मैसर्स श्री श्याम इलेक्ट्रीक्स अजमेर व मित्र दिलीप सिंह की फर्म मैसर्स जमवाई इलेक्ट्रीक्स अजमेर व मैसर्स महिमा इन्फ्रा अजमेर को दिनांक 12.09.2025, 24.09.2025 व 12.10.2025 को जारी किये गये 12 वर्क ऑर्डर कुल राशि 46,81,190 रूपये एंव दिनांक 08.12.2025 को जारी किये गये 4 वर्क ऑर्डर कुल राशि 19,96,476 रूपये कुल राशि 66,77,666 रूपये के वर्क ऑर्डर जारी करने की एवज में 2,10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 11.02.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर आज दिनांक 16.02.2026 को परिवादी से रिश्वत राशि 50,000 रूपये प्राप्त किये जो रिश्वत राशि आरोपी श्री बाबूलाल के सामने रखी हुई टेबल से बरामद होना पाया गया है। आरोपी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एंव रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवण का रंग हल्का गुलाबी आना पाया गया है। आरोपी श्री बाबूलाल पुत्र श्री चरण लाल उम्र 59 साल जाति जाटव निवासी मकान नम्बर 94 भगवती नगर सैकण्ड पुलिस थाना महेश नगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (मीरां बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरां बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बाबूलाल पुत्र श्री चरण लाल उम्र 59 साल जाति जाटव निवासी मकान नम्बर 94 भगवती नगर सैकण्ड पुलिस थाना महेश नगर जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार

जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागोर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 313 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 364-67 दिनांक 18.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALPANA SOLANKI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/02/2026 17:16:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)